राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/44373-44406 दिनांक 01/06/2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः–जल स्वावलम्बन सप्ताह कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) द्वितीय चरण के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 04 जून, 2018 से 08 जून, 2018 तक जल स्वावलम्बन सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। जल स्वावलम्बन सप्ताह के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में जिलों एवं उनमें स्थित नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधिगण (मेयर/सभापति/अध्यक्ष/पार्षद) के साथ–साथ धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावें। जल स्वावलम्बन सप्ताह में निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किये जावें:–

1. आम नागरिकों, पार्षदों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान अतंर्गत अभी तक करवाये गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना।
2. अभियान अंतर्गत चल रहे कार्यो का निरीक्षण करना।
3. नागरिकों संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों तथा एनजीओ को श्रमदान हेतु प्रेरित करना व स्वयं भी श्रमदान करना।
4. अभियान अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यो का लोकार्पण करना।
5. सभी संबंधित को अभियान हेतु पूर्व प्रेषित प्रतिज्ञा दिलवाना।
6. प्रत्येक नगरीय निकाय में नागरिकों, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं युवकों की एक जल स्वावलम्बन सामूहिक रैली सप्ताह के प्रथम भाग में निकलवाना।
7. विभिन्न दानदाताओं एवं संगठनों द्वारा अभियान में सहयोग हेतु पूर्व में की गई घोषणाओं के विरुद्ध वास्तविक रूप से प्राप्त सहयोग की समीक्षा करना एवं शेष सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।
8. विभिन्न दानदाताओं को अभियान में सहयोग देने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना।
9. जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में राशि रू. 10,000 से अधिक का सहयोग नकद, सामग्री एवं मशीन के रूप में दिये जाने वाले दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाना।

जिला प्रभारी मंत्रीगण एवं प्रभारी सचिवो को भी जल स्वावलम्बन सप्ताह में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जावें।

जल स्वावलम्बन सप्ताह के कार्यक्रम के संबंध में प्रिंट मीडिया (अखबार) एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो एवं टेलीविजन) के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जावें। जल स्वावलम्बन सप्ताह के कार्यक्रमों का मीडिया में प्रचार–प्रसार हेतु जिला संपर्क अधिकारियों को भी प्रभावी भूमिका निभाने हेतु निर्देशित किया जावें।

उक्त कार्यक्रम पर किया जाने वाला व्यय एमजेएसए मद में उपलब्ध कराये गये आई.ई.सी. कार्यशाला मद से आई.ई.सी. मैन्यूअल में निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप किया जावें।

उक्त कार्यक्रम के जिला स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं निकाय स्तर पर निकायों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी होंगे। सप्ताह की प्रतिदिन की प्रगति एमजेएसए पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करवायें।

शुभकामनाओं सहित।

1/6/18
(नवीन महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/44407–45051 दिनांक 01/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण।
4. माननीय प्रभारी मंत्री, समस्त जिले राजस्थान।
5. माननीय सांसद/विधायकगण, समस्त राजस्थान।
6. मेयर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकाय।
7. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
13. प्रभारी सचिव, समस्त जिले राजस्थान।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
16. हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
17. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण), राजस्थान जयपुर।
18. मुख्य वन संरक्षक (आयोजना), राजस्थान जयपुर।
19. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलक्टर से समन्वय रखते हुए 'जल स्वावलम्बन सप्ताह' प्रभावी रूप से मनाया जाना सुनिश्चित करें तथा सप्ताह के दौरान संपादित कार्यक्रम/गतिविधियों को दिनांक 12.06.2018 तक एमजेएसए पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
21. मुख्य अभियंता एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी), निदेशालय।
22. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
23. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय।
24. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
25. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

नोट :- सम्बन्धित ULB द्वारा मा. सांसद/विधायकगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रण की सूचना देवें।